घरेलू सामान का बीमा

अनुभाग - 1 : (अग्नि)

क) वर्ग ए निर्माण की बिल्डिंग

ख) सामान : (जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर)

आविरत जोखिम - अग्नि तिड़त, घरेलु अप्लायंसेज से गैस का विस्फोटन, उपद्रव और हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण नुकसान/हानि, भूकंप, बाढ़, भूघसकन और भूस्खलन, विस्फोटन और वाटर टैंक, अपरेटस और पाइप का ओवरफ्लो ।

आतंकवादी कवर (अतिरिक्त वैकल्पिक प्रीमियम) : आतंकवाद पूल के अनुसार

अनुभाग - 2 : (चोरी)

आविरत जोखिम - चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी, चोरी (सामान का बीमा मूल्य ऊपर अनुभाग 1 (ख) में दर्शाए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए)।

अनुभाग - 3 : (समस्त जोखिम) - मदों का विवरण

आवरित जोखिम - गहने जेवर तथा अन्य मूल्यवान सामान के लिए दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश भारत में कहीं भी हानि या टूट-फूट के विरुद्ध ।

अनुभाग - 4 : (प्लेट ग्लास) निश्चित

आवरित जोखिम - फिक्स्ड प्लेट ग्लास दुर्घटना के विरुद्ध ।

अनुभाग - 5 : (घरेलु सामान का ब्रेकडाऊन) - मदों का विवरण

आविरत जोखिम - घरेलू, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मेकेनिकल अप्लाइंसिज, उपकरणों या गैजेट्स की केवल मेकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन के कारण से ही हानि । बीमित राशि वर्तमान पर उसी समान नए अपरेटस के बराबर होनी चाहिए ।

अनुभाग - 6 : (टी. वी., वी. सी. आर. इत्यादि) - मदों का विवरण

आवरित जोखिम - अनुभाग 1 व 2 के अनुसार तथा बाहरी कारणों से दुर्घटना और मेकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन । कानूनी देयता रु. 25,000/- तक तथा एंटीना गिरने के कारण बीमाधारक की अपनी संपत्ति को नुकसान रु. 3000/- तक ।

अनुभाग - 7 : (पेडल साइकिल) - मदों का विवरण

आवरित जोखिम - अग्नि, तड़ित, आंतरिक विस्फोटन, उपद्रव व हडताल के कारण हानि या टूट फुट, आतंकवाद, दुर्भावनापुर्ण हानि,

HOUSEHOLDER INSURANCE

Section - I (Fire)

- (A) Building of class A construction
- (B) Contents: (excluding Jewellary & valuables)

Risk Covered - Fire lightning, explosion of gas in domestics appliances, Riot and strike, malicious Damage, **Earthquake**, Flood cyclone etc., Impact damage, Aircraft damage, subsidence & iandslide bursting and over flowing of water tank, apparatus or pipe.

<u>Terrorism Cover (Extra Optional Premium)</u>: as per Terrorism pool

Section - II (Burglary)

Risk Covered - Burglary, Housebreaking, larceny or theft (insurance on contents for value equivalent to the value mentioned under section IB above).

Section - III (All Risk) - description of items

Risk Covered - For jewellery and valuable against loss or damage by accident or misforture whilst anywhere in India.

Section - IV (Plate Glass) Fixed

Risk Covered - Fixed plate glass against accident damage

Section - V (Breakdown of domestic appliances) - description of items

Risk Covered - Damage caused by and/or solely due to mechanical or Electrical breakdown of domestic electrical, electronics or mechanical appliances, apparatus or gadgets. SUM INSURED should be present day replacement value of similar new equipment.

Section - VI (TV, VCR set etc.) - description of items

Risk Covered - As per section I & II and accidental external means and mechanical or electrical breakdown. Legal liability upto Rs. 25,000/- and damage to insureds own property due to collapse of antenna upto Rs. 3000/-.

Section - VII (Pedal Cycle) - description of items

Risk Covered - Loss or damage due to fire, lightning, internal explosion, Riot and strike, Terrorism, Malicious damage, Earthquake, Flood cyclone etc.

भूकंप, बाढ़, चक्रवात इत्यिदि, चोरी, गृहवेधन, तथा / अथवा चोरी, बाहरी दुर्घटना तथा रु.1000/- तक की जन देयता ।

अनुभाग - 8 : (बैगेज)

आविरत जोखिम - बीमाधारक के भारत में कहीं भी यात्रा करने अथवा टूर पर होने के दौरान उसके साथ के बैगेज को दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश खो जाना या हानि पहुंचना ।

अनुभाग - 9 : (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)

आवरित जोखिम - पूरी तरह से बाहरी हिंसात्मक व प्रत्यक्ष कारणों से हुई दुर्घटना के कारण शारीरिक चोटें पहुंचना या घायलावस्था ।

अनुभाग - 10 : जन देयता

- क) जन देयता: किसी अन्य पक्ष को शारीरिक चोट, संपत्ति की हानि या टूट फूट के लिए बीमाधारक की जन देयता अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक सीमित है।
- ख) कामगार मुआवजा देयता घरेलू नौकर के लिए।

अनुभाग - 11 : (व्यक्तिगत कम्प्यूटर्स)

अन्य नियम / शर्ते / अपवर्जन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी के अनुसार ।

समूह छूट : 5 और 6 अनुभागों तक 15% छूट तथा 6 अनुभाग से अधिक के लिए बीमाधारक को 20% छूट ।

टिप्पणी :

- अनुभाग 1 ख अनिवार्य है किसी भी सारणी के साथ अर्थात कुल
 असरणियों तक अनिवार्य हैं।
- केवल अनुभाग 1 के लिए न्यून मूल्य बीमा हेतु बीमित राशि का 15% छोडा जा सकता है ।
- कलात्मक वस्तुएं, शो पीस (मूल्यवान) को अनुभाग 1 (ख) और
 के अंतर्गत कवर किया जा सकता है बशर्ते कि उनका मूल्यांकन सरकार मान्य मूल्यांकन द्वारा किया गया हो ।

अपवर्जन / आधिक्य :

- अग्नि अनुभाग 1 के अंतर्गत आधिक्य लागू नहीं है ।
- 2) दावे के संबंध में (अनुभाग V/एम बी पर लागू) प्रत्येक हानि होने पर बीमाधारक, बीमित राशि का 1% अथवा रु. 25 (जो भी अधिक हो) को स्वयं वहन करेगा ।

Burglary, housebreaking and/or theft, external accident & legal liability subject to limit of Rs. 1000/-

Section - VIII (Baggage)

Risk Covered - Loss or damage to insured accompanied baggage by accident or misfortune whilst the insured is travelling on tour or holiday any where in India.

Section - IX (Personal Accident Insurance)

Risk Covered - Any bodely injury susteined solely & directly from accident caused by external violent & visible meaues.

Section - X

- (A) Public liability: Insureds legal liability for bodily injury or loss or damage to property of third party limited to amount specified in the schedule.
- (B) Workmen compensation liability for domestic servant.

Section - XI (Personal Computers)

Other terms/conditions / exclusion as per Electronic equipment policy.

Group Discount: 15% discount on all tables upto 5 & 6 section & 20% discount above 6 section taken by the insured.

Note:

- Section IB is compulsory with any tables i.e. total
 tables are compulsory.
- 2) 15% of the sum insured is waived for under insurance for Section I only.
- 3) Art work, showpieces (for higher value) may be covered under section IB & II provided they have been valued by a govt. approved valuer.

Exclusion / Excess:

- 1) Excess is not applicable under Fire Section I
- The Insured shall bear upon himself 1% of Sum Insured of each appliances or Rs. 25 which ever is higher for each and every loss in respect of a claim. (applicable for Section - V/MB)

संपूर्ण हानि के मामले में, 10% प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यहास के अधीन दावे का भुगतान किया जाएगा । किंतु फिर भी कुल मूल्यहास कुल बीमित राशि के 50% से अधिक नहीं होगा ।

- 3) प्रत्येक स्वयं क्षति दावे के लिए रु. 10 का आधिक्य होगा (अनुभाग 7) पैडल साइकिल ।
- 4) पॉलिसी अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध द्वारा हानि या टूट फूट, नाकरिक युद्ध/उपद्रव और समान मूल्यह्रास, घिसाव, परिणामी हानि इत्यादि कवर नहीं करती । और पॉलिसी की कुछ शर्तों / नियमों / क्लाजेज के अनुसार अपवर्जनों को कवर नहीं करती ।

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएं :

- 1) यदि दावा चोरी जोखिम के अंतर्गत है तो विविध बीमा विभाग के अंतर्गत चोरी सेंधमारी को भेजें ।
- 2) ब्रेकडाऊन के मामले में दावा प्रक्रिया जैसे कि सूचना, दावा प्रपत्र, रिपेयरर से आंकलन, रिपेयर से पूर्व वस्तु का सर्वेक्षण इत्यादि कंपनी की मौजुदा प्रणाली / मार्ग निर्देशकों के अनुसार किया जाएगा ।
- अधिक जानकारी के लिए संबंधित दावा विभाग से संपर्क करें।

In case of total loss, claims will be paid subject to depreciation of 10% per year from the date of manufacture. The maximum depreciation, however shall not exceed 50% of the sum insured.

- 3) Excess of Rs. 10 for each own damage claim (Section - VII) Pedal Cycle.
- 4) The ploicy does not cover inter-alia, loss or damage by war, civil war and like depreciation, wear and tear, consequential loss etc. and certain exclusion as per terms/conditions/clauses of policy.

CLAIM PROCEDURE / REQUIREMENT:

- 1) If claim is under burglary perils refer burglary under misc. dept.
- 2) In case of break-down claim procedure like intimating, Claim Form, Estimate from Repairer, Survey before repair of item etc. to be done as per prevailing system/guideline of company.
- 3) Refer respective claim Dept. for more detail.

A package policy to protect your home and its contents against various perils.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. प्रीमियर, बहुराष्ट्रीय गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 2472 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the Premier. Multinational the non-life insurance company with more than 2472 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम बागवानी / बागान (निवेश) बीमा, व्यापक पुष्पोत्पादन बीमा, चोरी बर्गलरी और गृहवेधन बीमा और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to Hotriculture / Plantataion (Inputs) Insurance, Comprehensive Floriculture Insurance, Burglary And Housebreaking Insurance Policy and a lot more.



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरंस बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190) सी.आई.एन. संख्या / CIN No.: L66000MH1919GOI000526

Website: www.newindia.co.in



आपके घर के लिए संपूर्ण

सुरक्षा **Overall SURAKSHA** for your Home

हम आपके 🖳

की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that your

Home is Secured





दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited (भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आपकी आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता हैं Your financial security is our prime concern

''बीमा आग्रह की विषय वस्तु है''

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के

न्यू इन्डिया एश्योरन्स कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

आपके घर और इसके सामान को सुरक्षा प्रदान

करने के लिए एक पैकेज पॉलिसी।